कार्यालय जिला न्यायाधीश, महराजगंज

प्रशासनिक आदेश संख्या–209./2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–29/2009 Admin. (G-II) Dated 30.05.2009 (छायाप्रति संलग्न) के परिपालन में 'The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' के अन्तर्गत पूर्व पारित प्रशासनिक आदेश संख्या–111/2023, दिनांकित 01–05–2023 द्वारा जिला न्यायालय, महराजगंज में कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित परिवादों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु छः सदस्यीय आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया गया था किन्तु स्थानान्तरण की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारीगण के स्थानान्तरण एवं पदभार में परिवर्तन के कारण, पूर्व में गठित आन्तरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन आवश्यक है।

अतः, जिला न्यायालय, महराजगंज के अन्तर्गत कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी आन्तरिक परिवाद समिति के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु, इस सम्बन्ध में पूर्व पारित प्रशासनिक आदेश संख्या–111/2023, दिनांकित 01–05–2023 को अधिक्रमित करते हुए, नवीन आन्तरिक परिवाद समिति गठित करने सम्बन्धी आदेश निम्नवत पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावी होगा :–

1– श्रीमती आस्था श्रीवास्तव, सिविल जज (प्रवर खण्ड), महराजगंज। –अध्यक्ष

2– श्री बलवन्त भारती, सिविल जज (प्रवर खण्ड), त्वरित न्यायालय, महराजगंज। –सदस्य

3– सुश्री बुशरा नूर, सिविल जज (अवर खण्ड), महराजगंज। –सदस्य

4– श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक, न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड), महराजगंज। –सदस्य

5– सृष्टि सेवा संस्थान, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (N.G.O.), महराजगंज। –सदस्य

यदि परिवाद बार के किसी सदस्य के विरूद्ध है तो, आन्तरिक परिवाद समिति स्वविवेक से, बार से एक या एक से अधिक सदस्य का सहयोजन (Co-Opt) कर सकती है।

आन्तरिक परिवाद समिति द्वारा, माननीय न्यायालय के उक्तांकित परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में, समिति के समक्ष प्रस्तुत परिवादों की गहनता से जांच कर, विचारोपरान्त, सुविचारित एवं सम्यक आख्या, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

पूर्व आन्तरिक परिवाद समिति के समक्ष लम्बित समस्त प्रकरणों (यदि कोई हों) के नियमानुसार निस्तारण हेतु, उन्हें नव गठित समिति को प्राप्त कराया जाय।

सिस्टम अधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति को, इस न्यायिक अधिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाय।

तदनुसार अनुपालनार्थ सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

दिनांकः 23–08–2023

जिला न्यायाधीश,
महराजगंज।